

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

कमली देवी वर्ग 0

बनाम

रुकमा देवी वर्ग 0

किस्म मुकदमा

दावा बाबत विभाजन व रथाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 142 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/321

हुकम या कार्यवाही मय इन्डियन जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

225

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से श्री सुरेश शर्मा एड. उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

31/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उम. फावली वास्ते पूर्व अद्वैतानुसार दिनांक 20/8/25 को पेश हो।

20/06/2025

वादीगण द्वारा जलिये वकील वादपत्रा विद्वा लले हेतु अ० फा मिसल तलबी पेश कले पर प्रतिषेध पत्रावली निमत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब कबिला की गई। वकील वादीगण ने उ०पत्र बाबत का विद्वा पेश कर निवेदन किया कि पदनाम के मध्य राजनामा हो गया है इस कारण वादपत्र को खो नही चलाना चाहते हैं। अतः वाद विद्वा फामाने की रूपा करे। वकील वादीगण का उ०पत्र बाबत वाद विद्वा व्यापकित में खोला किया जाकर वादपत्र इसी स्तर पर खोप किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तब वाद तलमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय छले न्यायालय में सुनाया गया।

अभिषा
कबिला
अ० फा
अ० फा
पदनाम

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)